

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
अधिसूचना

सं०सं०-01/स्था० (राज०)-32/2014 ..... 4574 /न०वि०एवंआ०वि०। जिला पदाधिकारी, गया के आदेश  
ज्ञापांक-945 दिनांक-27.07.18 के आलोक में श्री उदय कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टिकारी को बिहार  
नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से अगले  
आदेश तक कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, टिकारी का प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-  
(भरत झा)  
निदेशक, नगरपालिका प्रशासन  
-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (का०पदा०)-06/2016 ..... 4574 /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक- 24/8/18  
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय  
आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/श्री उदय कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टिकारी/कार्यपालक  
पदाधिकारी, नगर पंचायत, टिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/श्री अमितेश कुमार, आई०टी०  
प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, नगरपालिका प्रशासन  
-सह-विशेष सचिव।